

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Hisar Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0014

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

18/04/2025 18:54 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Friday

Date from (दिनांक से):

18/04/2025

Date To (दिनांक तक):

18/04/2025

Time Period (समय अवधि): Pahar
6Time From (समय से): 17:30
hrsTime To (समय तक): 17:30
hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 18/04/2025 Time (समय): 18:41 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 014 Date and Time (दिनांक और समय): 18/04/2025 18:41 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 45 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): फतेहाबाद,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सुधीर कुमार

(b) Father's Name (पिताका नाम): राजेन्द्र कुमार

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1993

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	भोडिया खेडा, FATEHABAD, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	भोडिया खेडा, FATEHABAD, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9812227433

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	कृष्ण वर्मा AETO			1. आबकारी एवं काराधान विभाग, फतेहाबाद, FATEHABAD, HARYANA, INDIA
2	विनोद कुमार झाईवर			1. आबकारी एवं काराधान विभाग, फतेहाबाद, FATEHABAD, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,

इन्सपेक्टर साहब,

एंटी करप्शन ब्यूरो, हिसार।

श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि मैं, सुधीर कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गांव भोडिया खेड़ा तहसील व जिला फतेहाबाद का स्थाई निवासी हूँ। यूनिट वाईन के नाम से सुभाष चन्द्र गोरछीया ने जिला फतेहाबाद में वर्ष 2024-25 के शराब के तीन जोन के ठेके लिये हुये हैं। यूनिट वाईन को अलॉट जोन न0 24 के अहरवां सर्कल में मैंने सुभाष चन्द्र गोरछीया के साथ 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी की हुई है। दिनांक 13.04.2025 को दोपहर के समय कृष्ण वर्मा ए०ई०टी०ओ०, आबकारी एवं कराधान विभाग (आ०), फतेहाबाद व विनोद ड्राईवर अयाल्की शराब के ठेका पर आये थे। जो अयाल्की ठेका के सैल रजिस्टर अपने साथ ले आये तथा अयाल्की ठेके के सैलमेन राजीव उर्फ राजा से 2 बोतल Blender Pride, 1 Bottle Clasbergs Beer, 6 पच्चे देशी शराब के ले गये और शराब के किसी प्रकार के रुपये सैल्समेन को नहीं दिये। आज मैं इस सम्बन्ध में कृष्ण ए०ई०टी०ओ० से मिला जिसने मुझसे 19000/- रुपये बतौर रिश्त की मांग की। मैंने कहा कि आज शाम तक दे दूंगा जिस पर कृष्ण वर्मा ई०टी०ओ० ने मेरे अयाल्की ठेका का सैल रजिस्टर वापिस लोटा दिया। इसके बाद कृष्ण वर्मा ए०ई०टी०ओ० का मेरे पास फोन आया जिसको मैंने कहा कि आज 15000 /- रुपये ही बन पायेंगे बाकि रुपये मैं आपको बाद में दे दूंगा। आज कृष्ण वर्मा ए०ई०टी०ओ० मेरे से 15000/- रुपये रिश्त लेगा। इसी सम्बन्ध में विनोद कुमार ड्राईवर आबकारी विभाग, फतेहाबाद भी मेरे पास बार-बार फोन करके 4000 /- रुपये रिश्त की मांग कर रहा है। मैं कृष्ण वर्मा ए०ई०टी०ओ० को 15000 /- रुपये बतौर रिश्त नहीं देना चाहता हूँ। अगर मैं कृष्ण वर्मा, ए०ई०टी०ओ० आबकारी विभाग, फतेहाबाद 15000/- रुपये बतौर रिश्त नहीं दूंगा तो वह मेरे परमिट में रूकावट डाल देगा तथा ठेके को सील करवा देगा। मैंने विनोद कुमार व कृष्ण वर्मा से हुई बातचीत की रिकार्डिंग की हुई जो मैं आपको बाद में पेश कर दूंगा। कृपया कृष्ण वर्मा ई.टी.ओ. व विनोद ड्राईवर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

SD Sudhir Kumar

प्रार्थी

सुधीर कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र

कुमार गांव भोडिया खेड़ा

तहसील व जिला फतेहाबाद

दिनांक 18.04.2025

कार्यवाही पुलिस

अज- आज सुधीर कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गांव भोडिया खेड़ा तहसील व जिला फतेहाबाद ने मो0न0 9812227433 से मन निरीक्षक के पास फोन किया तथा सूचना दी कि फतेहाबाद में कोई भ्रष्ट कर्मचारी मेरे से रिश्त की मांग कर रहा है। आप फतेहाबाद आ जाओ पूरी जानकारी मैं आपको फतेहाबाद पहुंचने पर दूंगा। जिस पर मन निरीक्षक ने हालात बारे पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार को बतलाये। पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री भीम सिंह, एस०डी०ओ०, कृषि विभाग, फतेहाबाद को बतौर स्वतंत्र गवाह नियुक्त किया गया। मन निरीक्षक मय स०उ०नि० विजेन्द्र कुमार न० 763/भिवानी, ई०ए०एस०आई० विरेन्द्र कुमार न० 125/हांसी, ई०एच०सी० इन्द्रपाल न० 433/फतेहाबाद, महिला सिपाही सुनैना न० 2114/ सोनीपत, वाटर कैरियर विवेक बासवारी गाड़ी सरकारी न० HR-03GV-3116 चालक ई०एच०सी० राजेश कुमार, न० 950/फतेहाबाद व एक प्राईवेट गाड़ी सहीत के मय तफतीशी बैग, लैपटॉप व प्रिन्टर के ऐरोमा हॉटल, फतेहाबाद के कमरा न0 103 में पहुंचा। शिकायतकर्ता सुधीर कुमार हस्त तलविदा कमरा न० 103, ऐरोमा हॉटल फतेहाबाद में हाजिर आया है व मन निरीक्षक के निर्देशानुसार ई०एच०सी० इन्द्रपाल न० 433/फतेहाबाद, भीम सिंह, एस०डी०ओ० व कुलवंत सिंह तकनीकी सहायक कृषि विभाग फतेहाबाद कमरा न० 103, ऐरोमा हॉटल, फतेहाबाद में हाजिर आया है। श्री भीम सिंह, एस०डी०ओ०, कृषि विभाग, फतेहाबाद व कुलवंत सिंह, तकनीकी सहायक, कृषि विभाग फतेहाबाद का परिचय शिकायतकर्ता सुधीर कुमार से करवाया गया है। शिकायतकर्ता सुधीर कुमार ने अपने फोन में आरोपी कृष्ण वर्मा ई०टी०ओ० व विनोद ड्राईवर से हुई बातचीत की रिकार्डिंग श्री भीम सिंह, एस०डी०ओ०, कृषि विभाग, फतेहाबाद, कुलवंत सिंह तकनीकी सहायक व मन निरीक्षक को सुनाई है तथा शिकायतकर्ता सुधीर कुमार ने हस्त लिखित दरखास्त मन निरीक्षक को पेश की है। शिकायतकर्ता सुधीर कुमार ने मन निरीक्षक को 500/500/- रुपये 30 नोट कुल 15000/- रुपये प्रस्तुत किये मन निरीक्षक ने इन 15000/- रुपये की सूची नोट नम्बरी तैयार की गई तथा शिकायतकर्ता सुधीर कुमार द्वारा प्रस्तुत किये गये नोटों पर फिनोल पैथोलिन पाउडर लगाकर नोट करंसी 500/500/- रुपये के 30 नोट कुल 15000/- रुपये शिकायतकर्ता सुधीर कुमार के हवाले किये हैं डैमोट्रेशन घोल तैयार किया गया है व फर्दात तैयार की गई है। शिकायतकर्ता सुधीर कुमार द्वारा प्रस्तुत की गई दरखास्त के मजबुन से जुर्म जेर धारा 7 पी०सी० एक्ट का सरजद होना पाये जाने पर तहरीर अंकित करके, बदस्त महिला सिपाही सुनैना न0 2114/

सोनीपत के थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार भिजवाई जा रही है। अभियोग दर्ज करने उपरांत अभियोग की प्रथम सूचना रिपोर्ट व असल तहरीर मौका पर भिजवाई जाये तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति ईलाका मजिस्ट्रेट, सम्बन्धित अफसरान बाला को भेजी जाये। मन निरीक्षक रेड की आगामी कार्यवाही में मशरूफ होता हूँ।

अज: अरोमा होटल फतेहाबाद ।

SD Ajit Singh

PS ACB HSR

Dt. 18.04.2025

At. 5.30 Pm.

अज थाना- हस्व आमद तहरीर पर मुकदमा नं. 14 दिनांक 18.04.2025 धारा 7 PC ACT थाना भ्र.नि.ब्यूरो हिसार दर्ज रजि. किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर महिला सिपाही सुनैना नं. 2114/सोनीपत के हाथ वर मौका अनुसंधानकर्ता के पास भेजी जा रही है । प्र.सु.रि. की स्पेशल प्रतियां तैयार करके EMAIL ID द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब फतेहाबाद व पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद की सेवा में भेजी जा रही हैं ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Ajit Singh Rank (पद): I (Inspector)
No. (सं.): 304H to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.

(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): SATYAPAL

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 303SPT

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Is pox pitted: Yes
2	Male					Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)